प्रस्तावना

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत, भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) नौसेना, तटरक्षक, सैन्य अभियंता सेवाओं तथा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र पोत निर्माण बाड़ों के लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित है।

इस प्रतिवेदन में वे मामलें उल्लिखित हैं, जो 2013-14 की अवधि में की गई लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आए तथा इसमें वे मामले भी सम्मिलित है जो कि पिछले वर्षों में देखने में आए थे, लेकिन पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे। 2013-14 से बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहां कहीं आवश्यक थे, शामिल किए गए है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदण्डों के अनुरूप की गई है।